5:09:24 PM

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक— 2575 / FP/UK/WATER/144750/2021 :देहरादूनः दिनांकः 26 अप्रैल, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमांऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

विषयः—जनपद—नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड भीमताल की देवीधूरा—कून पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.3627 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम, भीमताल, नैनीताल को 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः—आपका पत्रांक 2108/12—1 दिनांक 19.04.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की 03 हार्ड प्रति आपके सन्दर्भित पत्र के द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई है। प्रस्तुत प्रस्ताव के गहन अवलोकन करने के पश्चात प्रस्ताव में निम्नानुसार अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवष्यक हैः—

1. प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या के अनुसार विषय सूची तैयार कर प्रस्ताव पर संलग्न करें।
2. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग—2 में हरियाली का घनत्व अंकित कर प्रपत्र को यथा स्थान प्रस्ताव में संलग्न करें।
3. प्रारूप—11 के प्रपत्र/प्रमाण पत्र में खसरा संख्या रिक्त है, खसरा संख्या भरी जाय।
4. लैण्ड शेड्यूल में भूमि का प्रकार निजी/सिविल का उल्लेख किया गया है, जिसमें दर्शायी गई 0.571 भूमि निजी भूमि है अथवा सिविल है, का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
5. परियोजना के बार चार्ट में सिविल सोयम भूमि का उल्लेख किया गया है, जबकि अन्य प्रपत्रों में नहीं किया गया है। स्थिति स्पष्ट करें।
6. परियोजना में कितनी इंच मोटी पाईप लाईन बिछायी जानी प्रस्तावित है के सम्बन्ध में प्रमाण—पत्र संलग्न करें।
7. ग्राम पंचायत देवी धूरा के वनाधिकार से सम्बन्धित प्रपत्र/प्रारूप— 30.3 में तिथि अंकित नहीं गयी है।
8. परियोजना का मदवार विवरण प्रस्ताव में संलग्न करें।
9. प्रस्ताव में कतिपय प्रमाण—पत्र पिन द्वारा संलग्न किये गये है, प्रपत्रों को पूर्ण रूप से प्रस्ताव में पेस्ट/संलग्न किया जाय।

अतः उक्त आपत्तियों के निराकरण करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी को अपने स्तर से निर्देषित करते हुये कमियों का निराकरण कर पूर्ण प्रस्ताव ऑनलाईन/ऑफलाईन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

26/4

(बी0पी0 गुप्ता)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या :—2575 / FP/UK/WATER/144750/2021 दिनांकित।
प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव में इंगित कमियों का प्रस्तावक विभाग से पूर्ण निराकरण करवाकर प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, भीमताल को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त प्रस्ताव कमियों के निराकरण हेतु इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लेवें तथा कमियों का निराकरण कर पूर्ण प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

26/4

(बी0पी0 गुप्ता)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

Rohit PD Backup